संख्या –2013 / V–2015–55(आ0) / 2006–टी0सी0

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं
नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2– उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून / हरिद्वार / टिहरी।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन, 2015) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0–888 / V–2015–55(आ0) / 2006–टीसी0 दिनांक 12–6–2015, पत्र संख्या–1633 / V–2015–55(आ0) / 2006–टीसी0 दिनांक 24–9–2015 एवं पत्र संख्या–1793 / V–2015–55(आ0) / 2006–टीसी0 दिनांक 23–10–2015 द्वारा दिशा निर्देश दिये गये।

2– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011(संशोधन, 2015) के कतिपय मानकों, जिनका उल्लेख निम्नानुसार स्तम्भ–2 में किया गया है, में स्तम्भ–3 में उल्लिखित मानकों के अनुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है –

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011(संशोधन, 2015) में संशोधन

बिन्दु संख्या	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि / विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानक –	संशोधित मानक
1	2	3
(I) परिभाषा		
प्रस्तर 2.8	Atrium (एट्रियम) का तात्पर्य किसी भवन के आन्तरिक आंगन (Court) / प्रवेश हाल (Entrance Hall) से है, जो 'स्काईलाइटेड (Sky lighted) हो अथवा टेरेस फ्लोर पर पारदर्शी स्थाई संरचना से ढका हुआ हो। **उक्त की गणना एफ0ए0आर0 में मात्र एक तल पर की जाएगी।**	Atrium (एट्रियम) का तात्पर्य किसी भवन के आन्तरिक आंगन (Court) / प्रवेश हाल (Entrance Hall) से है, जो 'स्काईलाइटेड (Sky lighted) हो अथवा टेरेस फ्लोर पर पारदर्शी स्थाई संरचना से ढका हुआ हो। **उक्त की गणना भू–आच्छादन में की जाएगी।**

प्रस्तर 2.25	Floor Area Ratio (FAR) **(तल क्षेत्रफल अनुपात)** का तात्पर्य किसी भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से है। नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) भाग–3 के प्रस्तर 9.0 अनुसार देय FAR के आधार पर टाईप ऑफ कन्सट्रक्षन सुनिश्चित किया जाएगा। However the parking spaces at the Stilt and the Basement levels shall not be counted towards FAR **and in the Height of the Building.**	Floor Area Ratio (FAR) **(तल क्षेत्रफल अनुपात)** का तात्पर्य किसी भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से है। **कुल तल क्षेत्रफल की गणना में भू–आच्छादन व अन्य तलों पर आच्छादित तल क्षेत्र सम्मिलत होंगे।** नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) भाग–3 के प्रस्तर 9.0 अनुसार देय FAR के आधार पर टाईप ऑफ कन्सट्रक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। However the parking spaces at the Stilt and the Basement levels shall not be counted towards FAR.
प्रस्तर 2.57 (II)(ब)	(II)(ब) Educational Building **(शैक्षणिक भवन)**,के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें स्कूल, कालेज या प्रतिष्ठान जहाँ शिक्षा, प्रशिक्षण या अनुसंधान हेतु लोग एकत्र होते हों। व अन्य उपयोग जिनके कियाकलाप / प्रवृत्ति, जो स्वीकृत प्राधिकारी के अनुसार उपरोक्त वर्णित के समतुल्य हो।	(II)(ब) Educational Building **(शैक्षणिक भवन)**,के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें स्कूल, कालेज या प्रतिष्ठान जहाँ शिक्षा, प्रशिक्षण या अनुसंधान हेतु लोग एकत्र होते हों। **एवं शैक्षणिक संस्थान के परिसर अन्तर्गत स्थित होस्टल** व अन्य उपयोग जिनके कियाकलाप / प्रवृत्ति, जो स्वीकृत प्राधिकारी के अनुसार उपरोक्त वर्णित के समतुल्य हो।
प्रस्तर 2.57 (II)(द)	(द) Institutional Building **(संस्थागत भवन)** के अन्तर्गत वे सभी राजकीय / अर्ध–राजकीय / **चैरीटेबल संस्था** भवन या भवनों के भाग सम्मिलित होंगे, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हों, अभिरक्षा सम्बन्धी संस्थाएं और दण्डात्मक संस्थाएं यथा जेल, कारागार, मानसिक–चिकित्सालय, सुधार गृह, अनुसंधान संस्थाएं एवं अन्य उच्च स्तरीय एवं विशिष्ट संस्थाएं भी सम्मिलित होंगी। दण्डात्मक रूप में या सुधार हेतु निरुद्ध व्यक्तियों के रहने का स्थान व अन्य उपयोग जिनके कियाकलाप / प्रवृत्ति, जो स्वीकृत प्राधिकारी के अनुसार उपरोक्त वर्णित के समतुल्य हो।	(द) Institutional Building **(संस्थागत भवन)** के अन्तर्गत वे सभी राजकीय / अर्ध–राजकीय भवन या भवनों के भाग सम्मिलित होंगे, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हों, अभिरक्षा सम्बन्धी संस्थाएं और दण्डात्मक संस्थाएं यथा जेल, कारागार, मानसिक–चिकित्सालय, सुधार गृह, अनुसंधान संस्थाएं एवं अन्य उच्च स्तरीय एवं विशिष्ट संस्थाएं भी सम्मिलित होंगी। दण्डात्मक रूप में या सुधार हेतु निरुद्ध व्यक्तियों के रहने का स्थान व अन्य उपयोग जिनके कियाकलाप / प्रवृत्ति, जो स्वीकृत प्राधिकारी के अनुसार उपरोक्त वर्णित के समतुल्य हो।
प्रस्तर 2.57	(III)Commercial Building **(व्यवसायिक / वाणिज्यिक भवन)** means a building or part	(III) Commercial Building **(व्यवसायिक / वाणिज्यिक भवन)** means a building or

(III)	of a building, which is used as shop, and/or market for display and sale of merchandise either wholesale or retail, building used for transaction of business or the keeping of accounts, records for similar purpose; professional service facilities, corporate offices, software services, offices of commercial undertakings and companies, Habitat Centre petrol pump, restaurant, lodge, guest house, hotel, resort, cinema, theatre, multiplex, mall, wedding point, banquet hall, bank, gymnasium. Storage and service facilities incidental to the sale of merchandise and located in the same building shall be included under this.group, except where exempted. And any other use which in the opinion of sanctioning authority is of similar nature as mentioned in the above activities.	part of a building, which is used as shop, and/or market for display and sale of merchandise either wholesale or retail, building used for transaction of business or the keeping of accounts, records for similar purpose; professional service facilities, corporate offices, software services, offices of commercial undertakings and companies, Habitat Centre petrol pump, restaurant, lodge, **Stand Alone Private hostel**, guest house, hotel, resort, cinema, theatre, multiplex, mall, wedding point, banquet hall, bank, gymnasium. Storage and service facilities incidental to the sale of merchandise and located in the same building shall be included under this.group, except where exempted. And any other use which in the opinion of sanctioning authority is of similar nature as mentioned in the above activities.
(II) पहुँच मार्ग		
प्रस्तर 4.1 (I)	Single residential plot 7.5 mt**	ऐसे भूखण्ड, जो निर्मित क्षेत्र अन्तर्गत स्थित हैं अथवा भवनों से घिरे हुये (**enclosed**) हैं तथा जिनके सम्मुख स्थित मार्ग चौड़ाई 9.0 मीटर से कम है, में भूखण्ड में सम्मुख स्थित मार्ग की न्यूनतम निर्धारित 9.0 मी0 चौड़ाई सुनिश्चित करने हेतु भूखण्ड से वांछित मार्गाधिकार छोडते हुये मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायगी। मार्गाधिकार अन्तर्गत आने वाले भू–भाग में चाहरदिवारी व अन्य किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
प्रस्तर 4.1 की टिप्पणी के बिन्दु संख्या (i)	(i) ** एकल आवासीय भूखण्ड को निजी मार्ग द्वारा पहुँच उपलब्ध होने की स्थिति में उक्त मार्ग की चौड़ाई स्वामित्व अनुसार न्यूनतम 6.0 मी0 अनुमन्य होगी । उक्त निजी मार्ग से किसी अन्य भूखण्ड को पहुँच नहीं दी जायेगी।	मैदानी क्षेत्रों में एकल आवासीय भूखण्ड को निजी मार्ग द्वारा पहुंच उपलब्ध होने की स्थिति में 60 मी0 की लंबाई तक उक्त मार्ग की चौडाई स्वामित्त के अनुसार न्यूनतम 3.0 मी0 अनुमन्य होगी। 60.0 मी0 के उपरान्त 100 मी0 तक उक्त निजी मार्ग की चौडाई 6.0 मी0 अनुमन्य होगी। उक्त निजी मार्ग से किसी अन्य भूखण्ड को पहुंच नहीं दी जायेगी। 100.0 मी0 से अधिक लंबाई के निजी मार्गों की चौडाई उपविधि में

		सार्वजनिक मार्गों की चौड़ाई के अनुरूप होगी।
प्रस्तर 4.1 की टिप्पणी संख्या-- (ii)	एकल आवासीय भवनों एवं 200 वर्गमीटर से कम व्यवसायिक भूखण्ड हेतु न्यूनतम अपेक्षित मार्ग चौड़ाई में 25 प्रतिशत कम चौड़ाई उपलब्ध होने की स्थिति में मार्ग मध्य से अपेक्षित मार्गाधिकार सम्बन्धित भूखण्ड से छोड़ते हुये भवन निर्माण अनुमन्य होगा।	एकल आवासीय भवनों के सम्बन्ध में इस प्रावधान को समाप्त किया जाता है। 200 वर्गमीटर से कम व्यवसायिक भूखण्ड हेतु प्रावधान यथावत् रहेंगे।
प्रस्तर 4.1 की टिप्पणी संख्या-- (viii)	----	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग पर स्थित 2500 वर्गमीटर एवं इससे अधिक के भूखण्डों में व्यवसायिक गतिविधियों के भवनों हेतु मार्ग के समानान्तर 6.00 मीटर चौड़ी पट्टी वाहनीय आवागमन हेतु सर्विस लेन के रूप में प्राविधानित की जानी आवश्यक होगी, जिसके उपरान्त ही बाउण्ड्री वॉल का निर्माण अनुमन्य होगा। सर्विस लेन सम्बन्धित भू-स्वामी के भूखण्ड का भाग होगा। सर्विस लेने छोड़ने के उपरान्त सेट बैक की गणना की जायेगी। सर्विस लेन अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की गणना पार्किंग हेतु नहीं की जायेगी, परन्तु एफ0ए0आर0 की गणना में सर्विस लेन अन्तर्गत आने वाले भाग को सम्मिलित किया जायेगा।
प्रस्तर-4.1 की टिप्पणी संख्या (ix)		**मैदानी क्षेत्रों मे बारातघर हेतु ऐसे भूखण्ड, जो न्यूनतम अनुमन्य चौड़ाई के मार्ग से 60 मीटर की दूरी तक स्थित हो तथा जिनको न्यूनतम 9.0 मीटर चौड़े लिंक मार्ग से पहुंच उपलब्ध होती हो, में बारातघर अनुमन्य होगा, परन्तु भवन की ऊंचाई भूखण्ड के समक्ष स्थित मार्ग की विद्यमान चौड़ाई के अनुसार निर्धारित होगी।**
प्रस्तर 4.1 (III)	हैल्थ-- मैदानी क्षेत्रों में 200 बैड से अधिक के अस्पताल हेतु सडक की न्यूनतम चौडाई 18.0 मी0 से अधिक निर्धारित की गयी है।	**मैदानी क्षेत्रों में 200 बैड से अधिक के अस्पताल हेतु सडक की न्यूनतम चौडाई 21.0 मी0**

5.1(ii) की तालिका की टिप्पणी	----------	ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में भूखण्ड अन्तर्गत ऐसे निजी पहुँच, जो 12.0 मीटर अथवा इससे अधिक चौड़े **सार्वजनिक मार्ग** से सम्बद्ध हो तथा जिनकी चौड़ाई न्यूनतम 9.0 मीटर तथा लम्बाई अधिकतम 100 मीटर हो तथा उक्त निजी मार्ग से किसी अन्य भूखण्ड को पहुँच ना हो, द्वारा उपलब्ध होने की स्थिति में भूखण्ड **सार्वजनिक मार्ग** से पहुँच उपलब्ध होना माना जायेगा।
(IV) भवन ऊंचाई		
प्रस्तर 5.1 के बिन्दु संख्या Iv	पर्वतीय क्षेत्रों में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगी कि प्रस्तावित ऊँचाई से प्रमुख स्थलों यथा–झील, **हिमाच्छादित**/ पर्वत श्रृंखलाओं, घाटी आदिका दृष्यावलोकन बाधित न हो। मुख्य महायोजना मार्गों /राष्ट्रीय राजमार्गों/प्रान्तीय मार्गों पर स्थित भूखण्ड की दशा में भवन का शिखर तल किसी भी दशा में सड़क सतह से 1.20 मी0 से अधिक ऊँचा नहीं होगा तथा ऐसे मार्गों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी की भवन वाहनीय सड़क से 4.50 मी0 की दूरी पर होने पर एक मंजिला एवं अन्य तल की अनुमन्यता तभी होगी जहाँ सड़क के किनारे से भवन की दूरी 4. 50 मी0 तथा प्रस्तावित अतिरिक्त तल की ऊँचाई के बराबर हो। **ऐसे प्रकरणों में गुण दोश के आधार पर अनुमन्य ऊँचाई की सीमा तक ऊँचाई अनुमन्य किये जाने हेतु सक्षम स्तर पर अनुमति दी जा सकती है।**	पर्वतीय क्षेत्रों में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगी कि प्रस्तावित ऊँचाई से प्रमुख स्थलों यथा–झील, पर्वत श्रृंखलाओं, घाटी आदि का दृष्यावलोकन बाधित न हो। मुख्य महायोजना मार्गों/राष्ट्रीय राजमार्गों/प्रान्तीय मार्गों/**जनपदीय मार्गों** (MDR/ ODR) पर स्थित भूखण्ड की दशा में भवन का शिखर तल (ridge of sloping roof /terrace) किसी भी दशा में सड़क सतह से 1.20 मी0 से अधिक ऊँचा नहीं होगा तथा ऐसे मार्गों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी की भवन उक्त वाहनीय सड़क से 4.50 मी0 की दूरी पर होने पर **सड़क सतह से अधिकतम** एक मंजिला **(ढालदार छत सहित अधिकतम 4.5 मी0)** एवं भवन के अग्रेतर तल की अनुमन्यता तभी अनुमन्य होगी जहाँ सड़क के किनारे से भवन की दूरी 4.50 मी0 तथा प्रस्तावित अतिरिक्त तल की ऊँचाई के बराबर दूरी उपलब्ध हो।
प्रस्तर 7.5	प्राइमरी स्कूल (कक्षा 5 तक) (अधिकतम G+1)	प्राइमरी स्कूल (कक्षा 5 तक) **अधिकतम G+1 की सीमा के प्राविधान को समाप्त किया गया।**

(IV) मिश्रित उपयोग

प्रस्तर 4.3	MIXED USE **मिश्रित उपयोग की परियोजनाऐं** मिश्रित उपयोग की परियोजनाओं अर्न्तगत vertical and horizontal mix of uses निम्न अपेक्षाओं अनुसार अनुमन्य होंगे:– – मिश्रित उपयोग में प्रस्तावित जिस उपयोग में अधिक पहुँच मार्ग चौड़ाई, सेटबैक्स व पार्किंग अपेक्षित हो, वह ही सम्पूर्ण परियोजना में मान्य होगी। – मिश्रित उपयोग में प्रस्तावित जिस उपयोग में न्यूनतम भू–आच्छादन, FAR , अपेक्षित हो, वह ही मिश्रित उपयोग की सम्पूर्ण परियोजना में मान्य होगी। – मिश्रित उपयोग की परियोजनाओं अर्न्तगत पृथक–पृथक गतिविधियों हेतु अपेक्षित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन केवल सम्बन्धित गतिविधि के कवर्ड एरिया/FAR पर किया जाऐगा।	MIXED USE **मिश्रित उपयोग की परियोजनाऐं** मिश्रित उपयोग की परियोजनाओं अर्न्तगत vertical and horizontal mix of uses निम्न अपेक्षाओं अनुसार अनुमन्य होंगे:– **मिश्रित परियोजनाओं में अधिक सक्रिय उपयोग हेतु निर्धारित सेट बैक व एफ0ए0आर0 के आधार पर सम्पूर्ण परियोजना का सेट बैक व एफ0ए0आर0 का निर्धारण किया जायेगा तथा सम्बन्धित प्रयोजन अनुसार पार्किंग के मानकों की पृथक–पृथक गणना की जाएगी।**

(V) पार्किंग

प्रस्तर 5.6 के बिन्दु संख्या II के उपक्रमांक संख्या 1(अ) के क,ख	(see table below)	**101–200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड हेतु न्यूनतम 1.0 E.C.S** **201–300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड हेतु न्यूनतम 2.0 E.C.S** **301वर्ग मी0 एवं इससे अधिक के भूखण्ड हेतु प्रति 100 वर्गमीटर व उसके अंश पर 1.0 E.C.S देय होगा।**

एकल आवासीय इकाई हेतु	पार्किंग स्थल (E.C.S.)
(क) 100–300 वर्ग मी0 तल क्षेत्रफल पर	सेट बैक अन्तर्गत 13.5 व0मी0 (5.0 मी0 x 2.75 मी0) का एक पार्किंग स्थल
(ख) 300 वर्ग मी0 से अधिक तल क्षेत्रफल पर	1.00 E.C.S प्रति 100 वर्गमीटर आच्छादित (कवर्ड) क्षेत्र या अंश पर

प्रस्तर 5.6 के बिन्दु संख्या II : उपकमांक संख्या 3	व्यवसायिक उपयोग / प्रति 100 वर्गमीटर आच्छादित (कवर्ड) क्षेत्र या अंष परपार्किंग स्थल (E.C.S.) — 50 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर — — — 250 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर — 1.00 E.C.S — 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर — 1.50 E.C.S — 500 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों पर — 2.50 E.C.S	व्यवसायिक उपयोग / प्रति 100 वर्गमीटर आच्छादित (कवर्ड) क्षेत्र या अंश परपार्किंग स्थल (E.C.S.) — 50 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर — — — 250 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर — 1.00 E.C.S — 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर — 1.50 E.C.S — 1500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर — **2.00 E.C.S** — 1500 वर्गमीटर से अधिक भूखण्डों पर — **2.50 E.C.S**
प्रस्तर 5.6 (II) उपकमांक संख्या 5	मॉल, मल्टीप्लेक्स—मल्टीप्लेक्स—व्यवसायिक मिश्रित उपयोग / सिनेमा हॉल—3.50 E.C.S.	मॉल, मल्टीप्लेक्स—मल्टीप्लेक्स—व्यवसायिक मिश्रित उपयोग / सिनेमा हॉल—2.50 E.C.S.
उपकमांक—7	लॉजिंग / पर्यटक आवास / मुसाफिर खाना / धर्मशाला / गेस्ट हाउस / रिज़ोर्ट / **हॉस्टल—1.50 E.C.S** प्रति 100 व0मी0	लॉजिंग / पर्यटक आवास / मुसाफिरखाना / धर्मशाला / गेस्ट हाउस / रिज़ोर्ट / **Stand Alone Private होस्टल** —1.50 E.C.S प्रति 100 व0मी0 **शैक्षणिक संस्थान अन्तर्गत स्थित होस्टल —0.75 E.C.S. प्रति 100 व0मी0**
प्रस्तर 5.6 के बिन्दु संख्या IV	**स्टिल्ट पर केवल खुली पार्किगं अनुमन्य होगी तथा जो न्यूनतम तीन ओर से खुली होगी** व सेट बैक की ओर— दीवार / शटर / ग्लेजिंग आदि द्वारा कवर करने पर उसे कवर्ड पार्किगं मानते हुए उसकी गणना एफ.ए.आर.व ऊँचाई में की जायेगी।	**गैर एकल आवासीय प्रकरणों में केवल तीन ओर से खुले स्टिल्ट पर पार्किगं अनुमन्य होगी व एकल आवासीय प्रकरणों में स्टिल्ट पार्किगं न्यूनतम दो ओर से खुली रहेगी।** सेट बैक की ओर—दीवार / शटर / ग्लेजिंग आदि द्वारा कवर करने पर उसे कवर्ड पार्किगं मानते हुए उसकी गणना एफ.ए.आर व ऊँचाई में की जायेगी।

प्रस्तर 5.6 के बिन्दु संख्या v के उपकमांक v	बेसमेन्ट का निर्माण भूखण्ड के अधिकतम 50 प्रतिशत भाग में अनुमन्य होगा तथा बेसमेन्ट का निर्माण सम्बन्धित भूखण्ड हेतु निंधारित सेट बैक क्षेत्र को छोडने के उपरान्त अनुमन्य होगा। ऐसे भू–खण्ड जिनमें सेट बैक अनिवार्य नहीं है, में 12.0 मीटर तक ऊँचाई के भवनों में **स्वेच्छा** से 2.0 मीटर का सेट बैक पार्श्व व पृष्ठ की ओर व 12.0 मीटर सें अधिक ऊँचाई के भवनों में प्रत्येक 3.0 मीटर की ऊँचाई पर 1.0 मीटर अतिरिक्त सेट बैक पार्श्व व पृष्ठ की ओर छोडे जाने पर ही बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।	बेसमेंट का निर्माण अधिकतम 50 प्रतिशत भाग में अनुमन्य होगा तथा बेसमेन्ट का निर्माण संबंधित भूखण्ड हेतु निर्धारित सेट बैक क्षेत्र को छोडने के उपरान्त अनुमन्य होगा। ऐसे भूखण्ड जिनमें सेट बैक अनिवार्य नहीं है, में 12.0 मी तक उंचाई के भवनों में **अनिवार्य** रूप से 2.0 मी0 का सेट बैक पार्श्व एवं पृष्ठ की ओर छोडा जाना माना जाय। 12.0 मीटर सें अधिक ऊँचाई के भवनों में प्रत्येक 3.0 मीटर की ऊँचाई पर 1.0 मीटर अतिरिक्त सेट बैक पार्श्व व पृष्ठ की ओर छोडे जाने पर ही बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।
प्रस्तर 5.6 के बिन्दु संख्या v के उपकमांक सं0(vi)	भूखण्ड अन्तर्गत छोड़े गये खुले स्थलों के नीचे भी बेसमेंट इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि बेसमेंट की छत भूतल से अधिक न हो (flushed with ground level and properly landscaped as open/ green space)।	**बेसमेंट के ऊपर के इस प्रकार के भू–भाग में खुले क्षेत्रों का प्रस्ताव भूतल से उठे हुये खुले भू–भाग में Podium के रूप में भी दिया जा सकेगा। इन प्रकरणों में Ground Water Recharge हेतु Recharge Well का प्राविधान आवश्यक होगा।**
प्रस्तर 5. 2(III)	(viii) एकल आवासीय व मल्टीपल इकाई के प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों में सेट बैक क्षेत्र में पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी एवं ग्रुप हाउसिंग प्रकरणों में सेट बैक अन्तर्गत 50 प्रतिशत भाग में निर्माण से 3.60 मीटर छोड़ने के उपरान्त पार्किंग अनुमन्य होगी।	(viii) एकल आवासीय व मल्टीपल इकाई के प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों में सेट बैक क्षेत्र में पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी एवं ग्रुप हाउसिंग तथा **व्यवसायिक भूखण्डों** में प्रकरणों में सेट बैक अन्तर्गत 50 प्रतिशत भाग में निर्माण से 3.60 मीटर छोड़ने के उपरान्त **तथा अग्निशमन सुरक्षा हेतु फायर टेण्डर के सुगम आवागमन के लिए वांछित क्षेत्र को अवरोधमुक्त आरक्षित रखते हुए पार्किंग अनुमन्य होगी।**
(VI) स्टिल्ट फ्लोर		
प्रस्तर 5.2 (I) की टिप्पणी संख्या 6	आवासीय प्रकरणों में स्टिल्ट फ्लोर केवल सेमी डिटेच्ड (न्यूनतम दो ओर से खुले यथा– अग्र व पृश्ठ की ओर से खुले, सेट–बैक युक्त भवनो में)	**एकल** आवासीय प्रकरणों में स्टिल्ट फ्लोर केवल सेमी डिटेच्ड (न्यूनतम दो ओर से खुले यथा– अग्र व पृष्ठ की ओर से खुले, सेट–बैक युक्त भवनो में)

<table>
<tr><td></td><td>भवनों में अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसे भवनों में पीछे के सेट बैक के 40 प्रतिषत भाग पर निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।</td><td>भवनों में अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसे भवनों में पीछे के सेट बैक के 40 प्रतिषत भाग पर निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td colspan="3">(VII) खुला क्षेत्र (Green Area)</td></tr>
<tr><td>प्रस्तर 5. 2(III)</td><td>RELAXATION IN SETBACKS_(सेट बैक में छूट)
(viii) खुला / व्यवस्थित पार्क का निर्माण अग्निशमन सुरक्षा हेतु फायर टण्डर के सुगम आवागमन के लिए वाछित क्षेत्र को अवरोधमुक्त आरक्षित रखते हुए अनुमन्य होगा।</td><td>सेट बैक क्षेत्र के 33 प्रतिषत भाग को खुला क्षेत्र (Green Area) में प्रस्तावित किया जा सकेगा। इस हेतु NBC-2005 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार न्यूनतम चौड़ाई 7.50 मीटर व न्यूनतम क्षेत्रफल 450 वर्गमीटर आवष्यक होगा।</td></tr>
<tr><td>प्रस्तर 5.3 (III)(ii)</td><td>खुले स्थान की सीमा यथास्थिति बिल्डिंग लाइन से न्यूनतम 3.0 मीटर की दूरी पर होगी।</td><td>बिल्डिंग लाईन से न्यूनतम 3.00 मीटर छोड़ते हुये खुले क्षेत्र (Green Are) प्रस्ताव दिये जाने के प्राविधान को समाप्त किया जाय, परन्तु लैण्ड स्केप प्लान में अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से बिल्डिंग लाईन से न्यूनतम 3.00 मीटर का आवागमन क्षेत्र, जिसकी गणना खुले हरित क्षेत्र में की जायेगी, छोड़ा जाना आवश्यक होगा।</td></tr>
<tr><td colspan="3">(VIII) एट्रियम</td></tr>
<tr><td>प्रस्तर 5.5 (III)</td><td>– शॉपिंग माल में 'एट्रियम' बनाया जा सकेगा एवं 'एट्रियम' की गणना भू–आच्छादन में की जाएगी व साथ ही एफ.ए.आर. में इसकी गणना केवल एक तल पर की जाएगी। 'एट्रियम' के अन्तर्गत स्थायी प्रकृति का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।</td><td>- Atrium (एट्रियम) व्यवसायिक भवनों में 'एट्रियम' बनाया जा सकेगा एवं 'एट्रियम' की गणना भू– आच्छादन में की जाएगी। 'एट्रियम' के अन्तर्गत स्थायी प्रकृति का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td colspan="3">(IX) कय योग्य एफ.ए.आर</td></tr>
<tr><td>प्रस्तर 5.5 (V)(iv)</td><td>कय योग्य एफ.ए.आर. (PURCHASABLE F.A.R)
<table>
<tr><td>क्र. स.</td><td colspan="2">भवन के प्रयोग</td><td>गुणाक</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>ग्रुप हाउसिंग</td><td>एफ.ए.आर. 2.4 तक</td><td>0.25</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>एफ.ए.आर. 2.4 से अधिक 3.0</td><td>0.60</td></tr>
</table></td><td>
<table>
<tr><td>क. स.</td><td colspan="2">भवन के प्रयोग</td><td>गुणांक</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>ग्रुप हाउसिंग</td><td>एफ.ए.आर. 2.4 तक</td><td>0.20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>एफ.ए.आर. 2.4 से अधिक 3.0 तक</td><td>0.60</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	(1) ... तक (2) एफोर्डेबल हाउसिग एफ.ए.आर. 2.4 से अधिक 3.0 तक — 0.30 (3) गैर आवासीय — 0.75	(2) एफोर्डेबल हाउसिग एफ.ए.आर. 2.4 से अधिक 3.0 तक — 0.30 (3) गैर आवासीय — 0.75
(XI) पूर्णता प्रमाण– पत्र व प्रपत्र		
प्रस्तर 3.9	पूर्णता प्रमाण–पत्र विकास कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् व भवन के अधिभोग (occupancy) से पूर्व भू–स्वामी/बिल्डर द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र (कम्पलीषन सर्टिफिकेट) प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रपत्र संख्या–11, 11(अ), 11(ब) व 11(स) के प्रारूप पर प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि........................	तीन एवं तीन से अधिक मंजिले भवनों पर स्ट्रक्चर/पर्यवेक्षण इंजीनियर का निर्धारित प्रपत्र पर पूर्णता प्रमाण–पत्र लिया जायेगा तथा एकल आवासीय एवं तीन मंजिल से कम के भवनों पर पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जायेगा। संख्या 11 (स) विलोपित किया गया व प्रपत्रों में भी प्रपत्र संख्या 11 (स) समाप्त किया गया।
<u>खण्ड–4</u> <u>प्रपत्र</u>	प्रपत्रः– <u>प्रपत्र संख्या (1)</u> में प्रत्येक विवरण/ प्रपत्र (**7 सं 9**) <u>प्रपत्र संख्या– FORM-B</u> में Signature of Architect who had supervised the construction <u>प्रपत्र संख्या 3</u> में स्ट्रक्चरल इंजीनियर <u>प्रपत्र संख्या 11 (स)</u> प्रपत्र संख्या– FORM-D में उल्लिखित Form E	प्रपत्रः– <u>प्रपत्र संख्या (1)</u> में प्रत्येक विवरण/ प्रपत्र (**7 से 10**) <u>प्रपत्र संख्या– FORM-B</u> में Signature of Architect किया गया। <u>प्रपत्र संख्या 3</u> से स्ट्रक्चरल इंजीनियर समाप्त किया गया। <u>प्रपत्र संख्या 11 (स)</u> समाप्त किया गया। प्रपत्र संख्या– FORM-D मे उल्लिखित Form E विलोपित किया गया।
(XII) अन्य		
प्रस्तर 3.3 (VI)	तकनीकी अनापत्ति उपरान्त आवेदक द्वारा भू–उच्चीकरण शुल्क एवं बाह्य विकास शुल्क निम्न स्थितियों में जमा की जायेगी जिसके उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा:– ऐसे विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र/ विशेष विकास क्षेत्र, जिनकी महायोजना स्वीकृत न होने के कारण भू–उपयोग निर्धारित नहीं है, में सम्बन्धित भूमि को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुये समस्त प्रकरणों का गुण–दोष के ...	तकनीकी अनापत्ति उपरान्त आवेदक द्वारा भू–उच्चीकरण शुल्क एवं बाह्य विकास शुल्क निम्न स्थितियों में जमा की जायेगी जिसके उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा:– ऐसे विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र/ विशेष विकास क्षेत्र, जिनकी महायोजना स्वीकृत न होने के कारण भू–उपयोग निर्धारित नहीं है, में सम्बन्धित भूमि को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुये समस्त प्रकरणों का गुण–दोष के आधार

	भू–उच्चीकरण शुल्क एवं सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा। भू–उच्चीकरण शुल्क एकल आवासीय एवं **फुटकर दुकानों** को छोड़कर सभी प्रकार के प्रयोजन के भवनों पर देय होगा। जिन क्षेत्रों की महायोजना स्वीकृत है, में सम्बन्धित भू–उपयोग में अनुमन्य निर्माण गतिविधियों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त तथा स्वीकृति से पूर्व सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा।	उच्चीकरण शुल्क एवं सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा। **250 वर्गमीटर तक के भूखण्डों एवं एकल आवासीय भवनों** को छोड़कर सभी प्रयोजन के भवनों पर भू–उच्चीकरण शुल्क देय होगा। जिन क्षेत्रों की महायोजना स्वीकृत है, में सम्बन्धित भू–उपयोग में अनुमन्य निर्माण गतिविधियों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त तथा स्वीकृति से पूर्व सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा।
प्रस्तर 4.2 की टिप्पणी (II)	महायोजना / जोनल प्लान में निर्धारित मार्गाधिकार (Right to way) से आच्छादित क्षेत्र अथवा अन्य आवश्यक जनसुविधाओं से प्रभावी क्षेत्र हेतु भू–स्वामी द्वारा उक्त क्षेत्र को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने पर भूखण्ड क्षेत्रफल के निर्धारित मानकों में अधिकतम 20 प्रतिशत की कमी मान्य होगी। बशर्ते क्षेत्रफल मानक में कमी केवल उक्त वर्णित हस्तान्तरण के फलस्वरूप हो।	महायोजना / जोनल प्लान में निर्धारित मार्गाधिकार (Right to way) से आच्छादित क्षेत्र अथवा अन्य आवश्यक जनसुविधाओं से प्रभावी क्षेत्र हेतु भू–स्वामी द्वारा उक्त क्षेत्र को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने पर **समस्त प्रयोजन हेतु न्यूनतम** भूखण्ड क्षेत्रफल के निर्धारित मानकों में अधिकतम 20 प्रतिशत की कमी मान्य होगी। बशर्ते क्षेत्रफल मानक में कमी केवल उक्त वर्णित हस्तान्तरण के फलस्वरूप हो।
प्रस्तर 6.7	<u>उर्जा प्रतीरक्षण (Energy Conservation)</u> 500 वर्गमीटर से अधिक के कन्डीशन्ड क्षेत्र हेतु Energy Conservation Building Code (ECBC) का अनुपालन आवश्यक होगा व उक्त ECBC के compliance हेतु सम्बन्धित मानचित्रों पर UREDAसे अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।	**ECBC के Compliance हेतु मानचित्र स्वीकृती पत्र में उल्लिखत होगा कि यदि 500 व0मी0 से अधिक क्षेत्र कन्डीशन्ड किया जाता है तो UREDA से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा मानचित्र अस्वीकृत माना जाएगा।**
प्रस्तर 6.4 (III)	(III) जल–मल निस्तारण :– **एकल आवासीय व 1000 वर्गमीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के गैर आवासीय** भवनों / परिसरों में जल–मल निस्तारण हेतु मानचित्र स्वीकृति से पूर्व निम्न अपेक्षायें प्राधिकरण / स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी :– उक्त में व्यवहारिक कठिनाई के दृष्टिगत संशोधन।	(III) जल–मल निस्तारण :– **मल्टीपल आवासीय ईकाई एवं 1000 व0मी0 से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय / गैर आवासीय** भवनों / परिसरों में जल–मल निस्तारण हेतु मानचित्र स्वीकृति से पूर्व निम्न अपेक्षायें प्राधिकरण / स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

प्रस्तर 7.3 (VII) ii	– सब–क्लस्टर व क्लस्टर श्रेणी अन्तर्गत विकल्प के रूप में दुर्बल आय वर्ग के भवनों हेतु प्राधिकरण / विनियमित क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत तथा अन्य क्षेत्रों में नगर निकाय सीमा से 5.0 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत प्राविधान किया जाये। ऐसी EWS परियोजनाओं में दिये जाने वाले प्राविधान, मूल परियोजना से सम्बद्ध न होकर स्वतन्त्र रूप से दिये जाऐगें।	**विकासकर्ताओं की मूल ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में अपेक्षित दुर्बल आय वर्ग इकाईयों का प्रस्ताव विकासकर्ताओं द्वारा एकल अथवा समूह के रूप में पृथक से अन्यत्र उपयुक्त खुले स्थल अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली दुर्बल आय वर्ग की Dedicated परियोजनाओं में दिया जा सकता है। इस हेतु स्थलों की उपयुक्तता स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा खुले क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं की भान्ति स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति के अनुरूप ऐसी परियोजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति दी जाय।**
प्रस्तर 7.13 (II)	**हैबिटाट सेन्टर** हैबिटाट सेन्टर अन्तर्गत विभिन्न किया–कलापों का अनुपात	हैबिटाट सेन्टर अन्तर्गत विभिन्न किया–कलापों का अनुपात

कार्यालय / वाणिज्यिक केन्द्र	एफ0ए0आर0 का न्यूनतम 30.0 प्रतिशत	कार्यालय	एफ0ए0आर0 का न्यूनतम 30.0 प्रतिशत
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाए / सामुदायिक भवन	एफ0ए0आर0 का न्यूनतम 30.0 प्रतिशत	सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाए / सामुदायिक भवन	एफ0ए0आर0 का न्यूनतम 30.0 प्रतिशत
होटल / सर्विस अपार्टमेंट / गेस्ट हाउस	एफ0ए0आर0 का अधिकतम 5 प्रतिशत	होटल / सर्विस अपार्टमेंट / गेस्ट हाउस	एफ0ए0आर0 का अधिकतम 5 प्रतिशत
फूड कोर्ट / रेस्तराँ	एफ0ए0आर0 का अधिकतम 15.0 प्रतिशत	फूड कोर्ट / रेस्तराँ	एफ0ए0आर0 का अधिकतम 15.0 प्रतिशत
व्यवस्थित पार्क व वृक्षारोपण	भूखण्ड का न्यूनतम 15.0 प्रतिशत (अधिकतम 5 प्रतिशत बेसमेन्ट के ऊपर अनुमन्य)	व्यवस्थित पार्क व वृक्षारोपण	भूखण्ड का न्यूनतम 15.0 प्रतिशत (अधिकतम 5 प्रतिशत बेसमेन्ट के ऊपर अनुमन्य)
आउटडोर रिक्रेशन कियाकलाप	भूखण्ड का अधिकतम 10 प्रतिशत	आउटडोर रिक्रेशन कियाकलाप	भूखण्ड का अधिकतम 10 प्रतिशत

<table>
<tr>
<td>प्रस्तर 7.13 (III)</td>
<td>हैबिटाट सेन्टर अन्तर्गत अनुमन्य उपयोग
<table>
<tr><td>कार्यालय</td><td>Office complex, Conference Halls, Board rooms,</td></tr>
<tr><td>वाणिज्यिक कैन्द्र</td><td>Convention hall, Business Centre</td></tr>
<tr><td>सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाए / सामुदायिक भवन</td><td>Premier cultural and entertainment centre, Exhibition Area, Visual Art Gallery and library, Helath club with spa, Multi purpose hall,</td></tr>
<tr><td>होटल / सर्विस अपार्टमेंट / गेस्ट हाउस</td><td>Guest rooms,</td></tr>
<tr><td>फूड कोर्ट / रेस्तरॉ</td><td>Speciality restaurants, Food courts</td></tr>
<tr><td>आउटडोर रिक्रेशन कियाकलाप</td><td>Amphitheatre, Kiosks, food court sitting area.</td></tr>
</table>
</td>
<td>हैबिटाट सेन्टर अन्तर्गत अनुमन्य उपयोग
<table>
<tr><td>कार्यालय</td><td>Office complex, Conference Halls, Board rooms,</td></tr>
<tr><td>सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाए / सामुदायिक भवन</td><td>Premier cultural and entertainment centre, Exhibition Area, Visual Art Gallery and library, Helath club with spa, Multi purpose hall,</td></tr>
<tr><td>होटल / सर्विस अपार्टमेंट / गेस्ट हाउस</td><td>Guest rooms,</td></tr>
<tr><td>फूड कोर्ट / रेस्तरॉ</td><td>Speciality restaurants, Food courts</td></tr>
<tr><td>आउटडोर रिक्रेशन कियाकलाप</td><td>Amphitheatre, Kiosks, food court sitting area.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रस्तर 7.14 (II)(2)</td>
<td>फिलिंग स्टेशन / फिलिंग–कम–सर्विस स्टेशन
मार्ग के एक ओर दो फिलिंग स्टेशन की परस्पर दूरी मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तागत / पर्वतीय क्षेत्र में 30.0 मी0</td>
<td>मार्ग के एक ओर दो फिलिंग स्टेशन की परस्पर दूरी मैदानी क्षेत्र में नगर निकाय सीमान्तगत / पर्वतीय क्षेत्र में 300.0 मी0 तथा प्रश्नगत तालिका के बिन्दु–3 में वर्णित कासिंग / टी–जंक्शन का आशय उपविधि में प्रस्तर 7.15 "किसान सेवा केन्द्र" में निम्नानुसार वर्णित अनुसार होगा"" कासिंग / टी जंकशन का आशय मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र में कमशः 9.0 मी0 व 6.0 मी0 तथा इससे अधिक चौड़े मार्ग के मिलान बिन्दु से है" परिभाषित होगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रस्तर 7.14</td>
<td>ऐसे फिलिंग [illegible]</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	भूखण्ड की स्थिति मार्ग मध्य से न्यूनतम 30.0 मीटर आवश्यक होगी अर्थात फिलिंग स्टेशन के भूखण्ड की आवश्यक गणना मार्ग मध्य से 30.0 मीटर के उपरान्त की जायेगी।	लेन प्रावधान के बनाये जायेंगे, उनमें भूखण्ड की स्थिति मार्ग मध्य से न्यूनतम 30.0 मीटर आवश्यक होगी अर्थात फिलिंग स्टेशन के भूखण्ड की आवश्यक गणना मार्ग मध्य से 30.0 मीटर के उपरान्त की जायेगी।
प्रस्तर 7.14 (III)	**भूखण्ड का आकार**	भूखण्ड के आकार तालिका में "नगर निकाय सीमा" का तात्पर्य विनियमित क्षेत्र/विकास क्षेत्र अन्तर्गत सम्मिलित नगर निकाय सीमा से 3.0 किमी0 परिधि के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र होगा।
शमन		पूर्व स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में न्यूनतम 8.50 मीटर का अग्रसेटबैक सुनिश्चित करते हुए One time settlement अन्तर्गत प्रकरणों के शमन का निस्तारण किया जाय। शेष प्रावधान भवन उपविधि/शमन उपविधि के अनुसार रहेंगे।
प्रस्तर 2.3	**Areas, Hill ;पर्वतीय क्षेत्र; राजस्व अभिलेखों के अनुसार पर्वतीय ग्राम (1) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी तथा रूद्रप्रयाग जनपदों के अन्तर्गत आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (2) देहरादून जनपद की पुरानी चकराता तहसील व मसूरी सब डिवीजन (3) नैनीताल जनपद की नैनीताल तहसील, कोशिया कटौली तहसील तथा धारी तहसील (4) टनकपुर नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर जनपद चम्पावत का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा कोटद्वार नगरपालिका को छोड़कर जनपद पौड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा रामनगर नगरपालिका सीमा की उत्तारी सीमा से उत्तर की ओर रामनगर तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र।**	Areas, Hill ;पर्वतीय क्षेत्र; राजस्व अभिलेखों के अनुसार पर्वतीय ग्राम (1) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी (ऋषिकेश महायोजना क्षेत्र को छोड़कर) तथा रूद्रप्रयाग जनपदों के अन्तर्गत आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र (2) देहरादून जनपद की पुरानी चकराता तहसील व मसूरी सब डिवीजन (3) नैनीताल जनपद की नैनीताल तहसील, कोशिया कटौली तहसील तथा धारी तहसील (4) टनकपुर नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर जनपद चम्पावत का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा कोटद्वार नगरपालिका को छोड़कर जनपद पौड़ी (ऋषिकेश महायोजना क्षेत्र को छोड़कर) का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा रामनगर नगरपालिका सीमा की उत्तारी सीमा से उत्तर की ओर रामनगर [illegible]

3– अतः कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (संशोधन, 2015) में उपरोक्तानुसार संशोधित मानकों को यथा आवश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव ।